न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
183 / 2014	13-06-2014	27/06/2022

बउनवान –

01 घनराम

02 लालसिंह पुत्रान जयनारायण

03 चन्द्रभान

04 सुबेसिंह

05 हरीसिंह पुत्रान श्योलाल

06 गिन्दोडी बेवा श्योलाल

07 यादराम

08 मोहरसिंह

09 औमकार

10 प्यारेलाल पुत्रान कालू

11 नन्दकोर

12 शान्ती

13 चम्पा पुत्रीया कालू जाति अहीर निवासी ग्राम सहमतनगर तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: वादीगण

वनाम

01. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब अलवर द्वारा पैरोकार सरकार तहसीलदार भूमिधारी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 873 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 826 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर है। जिनके हाल खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.32 है0, 1126 रकबा 1.01 है0, 998 रकबा 0.43 है0, 1006 रकबा 0.10 है0, 1007 रकबा 0.10 है0 बने है। वास्ते मुलाहिजा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। आराजी उपरोक्त में जयनारायण मूलीया कालू संभाग 1 हिस्सा व श्रीया पुत्र गोरधान 3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार रहे जिनके नाम साबिक राजस्व रिकोर्डड में अमल रहा है वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संवत् 2023 संलग्न है। जयनारायण का स्वर्गवास हो गया जिनके वारिसान वादीगण संख्या 1 व 2 है एवं कालू का स्वर्गवास हो गया जिनके वारिसान वादीगण संख्या 3 लगायत 13 है। विवादित आराजी

पर संवत् 2011 से पूर्व से ही [illegible] जिसके हिस्से [illegible]
मोरूसी शिमकी दर्ज किया हुआ है तथा एक हिस्सेदार श्रीया था की जा चुकी है। विवादित आराजी राजस्व न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर किशनगढ बास द्वारा पारित की जा चुकी है। वो गैर खातेदारी का किया गया है जबकि की बाबत जमाबन्दी संवत् 2029 में जो अमल किया गया है वो गैर खातेदारी का किया गया है जबकि विवादित आराजी पर जयनारायण व कालू वरवक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान बिस्वेदारी जमीदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के वक्त व उसके पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते रहे जिन्हें स्वतः ही कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो गये व बहैसियत खातेदार अपने जीवन काल में काबिज होकर काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद मिन वादीगण 1 व 2 कुल 1/3 भाग पर व वादीगण संख्या 3 लगायत 13 कुल 1/3 भाग दर 1/4 हिस्सा पर बतौर खातेदार काबिज है। शेष 1/3 भाग मूलिया के वारिसान का है जिन्हे हाल जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। विवादित आराजी के 2/3 भाग दर 1/4 भाग के हम वादीगण काविज खातेदार काश्तकार है कानूनन पूर्व में ही हकूक खातेदारी काबिज है हाल जमाबन्दी में कानून के विपरित वादीगण को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है जिसके कारण वादीगण के निहित हकूकों पर कुठाराघात होता है अतः वादीगण स्वयं को विवादित आराजी के खातेदार करार दिलाने व इसी कदर हाल जमाबन्दी में स्वयं के नाम का गैर खातेदार अमल हजफ कराकर खातेदारी का अमल कराने के अधिकारी है। डिक्री इजराय इश्तकरारहक पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण 1 व 2 हाल खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.32 है0, 1126 रकबा 1.01 है0, 998 रकबा 0.43 है0, 1006 रकबा 0.10 है0, 1007 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम राईखेडा के 1/3 भाग के वादीगण 3 लगायत 13 भी 1/3 भाग दर 1/4 के खातेदारान है व इसी कदर हाल जमाबन्दी में वादीगण के नाम गैर खातेदार का अमल कलमजन किया जाकर खातेदार दर्ज कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न्यायालय उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र सज्जन सिंह पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी ग्राम सहमतनगर तहसील तिजारा जिला अलवर, बनवारीलाल पुत्र खेमला जाति अहीर निवासी ग्राम कबीरपुर तहसील तिजारा, औमकार पुत्र कालू जाति अहीर निवासी ग्राम सहमतनगर तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किये जो शामिल पत्रावली की गई। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2029 (प्रदर्श – 1), मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 (प्रदर्श – 2), जमाबन्दी संवत् 2011–14 (प्रदर्श – 3), जमाबन्दी संवत् 2015 (प्रदर्श – 4), जमाबन्दी संवत् 2019 (प्रदर्श – 5), जमाबन्दी संवत् 2023 (प्रदर्श – 6), जमाबन्दी संवत् 2070–73 (प्रदर्श – 7) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी में सवंत् 2023 में आराजी खसरा नम्बर 873 व 826 वाके ग्राम राईखेडा की भूमि पर जयनारायण मूलीया कालू संभाग 1 हिस्सा व श्रीया पुत्र गोरधान 3 हिस्सा सा. देह शिमकी के रूप में दर्ज था मिलान क्षेत्रफल 2029 के अनुसार आराजी खसरा नमबर 873 व 826 से हाल खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.32 है0, 1126 रकबा 1.01 है0, 998 रकबा 0.43 है0, 1006 रकबा 0.10 है0, 1007 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम राईखेडा बने है। जमाबन्दी संवत् 2029 बनाते समय वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

अतः वाद वादी डिक्री [illegible]
998 रकबा 0.43 है0, 1006 रकबा 0.10 है0, 1007 रकबा 0.10 ह0 वाके ग्राम [illegible]
जिला अलवर (राजस्थान) पर दर्ज वादीगण के नाम के आगे अंकित सा0 देह गैर खातेदार के स्थान पर सा0 देह खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
183/2014	13–06–2014	27/06/2022

बउनवान :–

01. पतराम
02. लालसिंह पुत्रान जयनारायण
03. चन्द्रभान
04. सुबेसिंह
05. हरीसिंह पुत्रान श्योलाल
06. गिन्दोडी बेवा श्योलाल
07. यादराम
08. मोहरसिंह
09. औमकार
10. प्यारेलाल पुत्रान कालू
11. नन्दकोर
12. शान्ती
13. चम्पा पुत्रीया कालू जाति अहीर निवासी ग्राम सहमतनगर तहसील तिजारा जिला अलवर

––––:: वादीगण

बनाम

01. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब अलवर द्वारा पैरोकार सरकार तहसीलदार भूमिधारी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

––––:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

हाल खसरा नम्बर 1125 रकबा 0.32 है0, 1126 रकबा 1.01 है0, 998 रकबा 0.43 है0, 1006 रकबा 0.10 है0, 1007 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) पर दर्ज वादीगण के नाम के आगे अंकित सा0 देह गैर खातेदार के स्थान पर सा0 देह खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0